(10)

संख्याः–853/XIV-1/12–5(8)/2012

प्रेषक,

डॉ0 पी0एस0गुसाईं,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून ,दिनॉक 7 मई, ~~अप्रैल~~, 2012

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये लेखानुदानावधि में सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्याः–84/नियो0/जिला योजना/2012–13 दिनांक 09 अप्रैल, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में लेखानुदानावधि में दि0 1 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक चार माह के लिए सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) हेतु **कुल ₹ 1,39,60,000/–(रूपये एक करोड़ उनतालीस लाख साठ हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल-महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।

2–उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग के द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 :– 193/XXVII (1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और यह शासनादेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

3–उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–107–केडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–800–अन्य व्यय (लघुशीर्षक 07,08, 21) के अन्तर्गत संलग्नक की ग,घ,ड़,च एवं छ की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0पी0एस0गुसाई)
सचिव।

संख्या:–853(1)/XIV–1/2012,तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल,/कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड,अल्मोडा।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
9. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजना (सामान्य) हेतु लेखानुदान से उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरणः–

(धनराशि लाख रू0 में)

		योजना का नाम					
कम संख्या	जनपद का नाम	2425–सहकारिता–आयोजनागत 107–केडिट सह0 समितियों को सहायता 91–सहकारी ऋण योजना, 9101–पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 03–सह0 विभाग की सह0 उपसमितियों को सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	800–अन्य व्यय, 07–प्रा0स ह0ऋण समि0 को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	08–प्रा0 कृषि सहकारी ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबंधकीय एवं साज–सज्जा अनुदान, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	21–सहकारी कय–विकय योजनान्तर्गत सह0 समितियों को वित्तीय सहायता, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	योग
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ	ज
1.	नैनीताल	3.61	0.20	0.06	0.26	5.04	**9.17**
2.	ऊ0सि0 नगर	0.00	0.13	0.00	0.00	1.05	**1.18**
3.	अल्मोड़ा	11.82	0.34	0.61	0.70	5.67	**19.14**
4.	बागेश्वर	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5.00**
5.	पिथौरागढ़	14.50	0.17	0.00	0.08	10.77	**25.52**
6.	चम्पावत	2.57	0.03	0.00	0.42	0.84	**3.86**
7.	देहरादून	2.86	0.32	0.00	0.00	1.68	**4.86**
8.	हरिद्वार	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	**3.15**
9.	पौढ़ी	17.72	0.00	0.00	0.26	0.00	**17.98**
10.	टिहरी	7.62	0.00	0.00	0.78	0.73	**9.13**
11.	चमोली	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	**10.15**
12.	रूद्रप्रयाग	6.10	0.81	0.00	0.31	0.00	**7.22**
13.	उत्तरकाशी	18.05	0.27	0.00	0.52	4.40	**23.24**
14.	योग	**100.00**	**2.27**	**0.67**	**3.33**	**33.33**	**139.6**

(पी0एस0गुसाई)
सचिव